भारत के राजपत्र, असाधारण **भाग III, खंड 4** में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 1)

सं. आर जी-18/(6)/2023-एनएसएल-II - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i), (iii) तथा (v) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, एतद् द्वारा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 1) कहा जाएगा।

(2) ये विनियम 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे।

2. दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (इस के पश्चात "मूल विनियम" कहा जायेगा) के विनियम 2 में खंड (द) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(दक) सिम स्वैप अथवा प्रतिस्थापन" का आशय मौजूदा सब्सक्राइबर द्वारा खोए हुए अथवा निष्क्रिय सिम कार्ड के स्थान पर नए सिम कार्ड की प्राप्ति की प्रक्रिया से है;"।

3. मूल विनियमों के विनियम 6 में प्रथम परंतुक के खंड (ज) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(झ) मोबाइल नंबर के सिम स्वैप अथवा प्रतिस्थापन करने की तारीख से सात दिन की अवधि समाप्त हो गई है।"।

4. मूल विनियमों के विनियम 6क में:-

(क) उप-विनियम (3) में खंड (छ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ज) मोबाइल नंबर के सिम स्वैप अथवा प्रतिस्थापन करने की तारीख से सात दिन की अवधि समाप्ति से पूर्व विशेष पोर्टिंग कोड के लिए अनुरोध किया गया है।";

(ख) उप-विनियम (6) में, "उप-विनियम (3) के खंड (ख) से (छ)" के शब्दों, कोष्ठकों और संख्या के लिए "उप-विनियम (3) के खंड (ख) से (ज)" शब्दों, कोष्ठकों और संख्या को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-विनियम (8) में "विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत उपबंधित खंड (ख) से (छ)" के शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्थान पर, "विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत उपबंधित खंड (ख) से (ज)" शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. मूल विनियमों के विनियम 9 में:-

(क) उप-विनियम (3) में शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं "विनियम 6क के उप-विनियम (3) में अंतर्विष्ट (क) से (छ) शर्तों" के स्थान पर "विनियम 6क के उप-विनियम (3) में अंतर्विष्ट (क) से (ज) शर्तों" शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम (4) में "विनियम 6क के उप-विनियम (3) के खंड (ख) से (छ)" के शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्थान पर, "विनियम 6क के उप-विनियम (3) के खंड (ख) से (ज)" शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-विनियम (6) में "विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत उपबंधित खंड (ख) से (छ)" शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्थान पर, "विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत उपबंधित खंड (ख) से (ज)" शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. मूल विनियमों के विनियम 10 में उप-विनियम (1) में "विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत खंड (क) से (छ)" शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्थान पर "विनियम 6क के उप-विनियम (3) के तहत खंड (क) से (ज)" शब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(वी. रघुनंदन)
सचिव

टिप्पण 1: मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 23 सितंबर, 2009 की अधिसूचना संख्या 116-4/2009-एमएन (खंड II) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था तथा निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किया गया था:

i. दिनांक 28 जनवरी 2010 की अधिसूचना संख्या 116-1/2010 (2010 का 1)
ii. दिनांक 24 नवंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 116-1/2010 (2010 का 5)
iii. दिनांक 8 जून 2012 की अधिसूचना संख्या 116-5/2012 (2012 का 16)
iv. दिनांक 19 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 116-5/2012 (2012 का 19)
v. दिनांक 22 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या 116-4/2013 (2013 का 9)
vi. दिनांक 25 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या 116-19/2014 (2015 का 03)
vii. दिनांक 13 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 116-6/2017- एनएसएल-II (2018 का 9)
viii. दिनांक 30 सितंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 116-4/2019-एनएसएल-II (2019 का 5)

टिप्पण 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. 'मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी' वह सुविधा है जो सब्सक्राइबर को देश में एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे एक्सेस प्रदाता के पास जाने पर अपना मोबाइल नंबर बनाए रखने की अनुमति देती है।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसके पश्चात, इसे "भादूविप्रा, या "प्राधिकरण" के रूप में भी संदर्भित किया जाएगा) ने देश में अंतरा-सर्कल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के कार्यान्वयन हेतु बुनियादी कारोबार प्रक्रिया की रूपरेखा को विनिर्धारित करते हुए दिनांक 23.09.2009 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) जारी किया था। एमएनपी की सुविधा हरियाणा लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में दिनांक 25.11.2010 को प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। दिनांक 20.01.2011 को इसे पूरे देश में विस्तारित किया गया। शुरुआत में, एमएनपी की सुविधा केवल लाइसेंस सेवा क्षेत्र के भीतर ही उपलब्ध थी। तथापि, "एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी" के संबंध में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 03.07.2015 से पूर्ण एमएनपी की सुविधा लागू की गई थी।

3. समय-समय पर एमएनपी प्रक्रिया में सुधार की दृष्टि से, पूर्व में दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 में आठ बार संशोधन किये जा चुके हैं।

4. दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सुझावों के आधार पर, भादूविप्रा ने मसौदा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023 दिनांक 27.09.2023 (इसके पश्चात, "परामर्श हेतु मसौदा विनियम दिनांक 27.09.2023" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जारी किया ताकि उसमें उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी जा सकें। हितधारकों से दिनांक 25.10.2023 तक अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। कुछ हितधारकों के अनुरोध पर, टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 08.11.2023 तक बढ़ा दी गई थी। प्राधिकरण को 13 हितधारकों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। टिप्पणियाँ प्राधिकरण की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। दिनांक 22.02.2024 को वर्चुअल माध्यम से परामर्श हेतु मसौदा विनियम दिनांक 27.09.2023 पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था।

5. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम 2009 में नौवें संशोधन को अंतिम रूप दिया है। निम्नलिखित अनुभाग विनियमों में किए गए संशोधनों का स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं।

क. यूपीसी के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड पेश करने की उपयुक्तता

6. दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 ("मूल विनियम") का विनियम 6क अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान करता है:

*"**6क. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा विशेष पोर्टिंग कोड आबंटन से पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया -** (1) विशेष पोर्टिंग कोड हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता अपने डाटाबेस से निम्नलिखित शर्तों की जांच करेगा कि क्याः-*

(क) मोबाइल नम्बर पहले भी पोर्ट हुआ है और यदि ऐसा है तो क्या पिछली पोर्टिंग से लेकर अब तक नब्बे दिनों की अवधि समाप्त नहीं हुई है;

(ख) इस मोबाइल नम्बर के लिए पोर्टिंग अनुरोध पहले ही प्रक्रियाधीन है; और

(ग) विशेष पोर्टिंग कोड पहले ही जारी किया जा चुका है तथा इसकी अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

(2) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि उप-विनियम 1 में उल्लिखित खंड (क) अथवा (ख) अथवा (ग) लागू हैं, तो मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता विशेष पोर्टिंग कोड का सृजन नहीं करेगा तथा विशेष पोर्टिंग कोड को सृजित नहीं किए जाने के कारण की एसएमएस द्वारा सबसक्राइबर को जानकारी देगा।

(3) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता यह पाता है कि उप-विनियम 1 में उल्लिखित खंड (क) तथा (ख) और (ग) लागू नहीं है, तो वह दाता प्रचालक के डाटाबेस पर रियल टाइम आधार पर तुरंत जांच करेगा कि क्या:-

(क) यह नम्बर कॉरपोरेट मोबाइल नम्बर है;

(ख) लंबित बिल के रूप में पोस्ट-पेड सब्सक्राइबर से बकाया भुगतान देय हो, जिन्हें सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार परंतु विशेष पोर्टिंग कोड के लिए आवेदन की तारीख से पूर्व जारी किया गया है;

(ग) पोर्टिंग अनुरोध नये कनेक्शनों की एक्टिवेशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व किया गया है;

(घ) मोबाइल नम्बर के स्वामित्व में परिवर्तन के अनुरोध पर कार्रवाई चल रही है;

(ङ) पोर्ट किए जाने के लिए आशियत मोबाइल नंबर पर मामला न्यायालय में चल रहा है;

(च) मोबाइल नंबर की पोर्टिंग न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध की गई है;

(छ) जहां संविदात्मक दायित्व हों, जिनके संबंध में सब्सक्राइबर करार में एक निर्गम खंड का प्रावधान किया गया हो परंतु सब्सक्राइबर ने ऐसे निर्गम खंड का अनुपालन नहीं किया है;

(4) दाता प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसका 'क्वेरी रिस्पांस सिस्टम', मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा यथा अपेक्षित, उपविनियम (3) के तहत रीयल टाइम आधार पर प्रतिक्रिया प्रदान करे।

(5) मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, सब्सक्राइबर के पोर्टिंग अनुरोध को प्राप्तकर्ता प्रचालक से प्राप्ति होने के उपरांत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उप-विनियम (3) के तहत प्राप्त की गई जानकारी का रखरखाव करेगा।

(6) यदि मोबाइल नम्बर पोर्टिबिलिटी सेवा प्रदाता, यह पाता है कि सब्सक्राइबर का अनुरोध उप-विनियम (3) की खंड (ख) से (छ) में अंतर्विष्ट आधार पर कवर नहीं होता है तो वह सब्सक्राइबर को एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करेगा तथा उसे एसएमएस के माध्यम से सब्सक्राइबर को संप्रेषित करेगा।

परन्तु यह कि कॉरपोरेट मोबाइल नंबर हेतु विशेष पोर्टिंग कोड से पूर्व अक्षर "सी" लगाया जाएगा।....''

7. मुख्य विनियमों के विनियम 6क के उप-विनियमन (1) के खंड (क) से (ग), और उप-विनियमन (3) के खंड (ख) से (छ) तक यूपीसी के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए मानदंडों की एक सूची प्रदान करते हैं। इस संबंध में, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा

को दिनांक 27.09.2022 को लिखे गए अपने पत्र के माध्यम से, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित का उल्लेख किया है:

"यह संज्ञान में आया है कि अपराधियों/ धोखेबाजों द्वारा धोखाधड़ी कर के सिम स्वैप/ प्रतिस्थापन के माध्यम से मोबाइल कनेक्शन धोखाधड़ी से पोर्ट किये जा रहें है (कृपया संलग्न निर्देश दिनांक 01.08.2016 का संदर्भ लें)।

2. उपरोक्त के मद्देनजर, यह अनुरोध किया जाता है कि ग्राहक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों में से निम्नलिखित को भी शामिल किया जा सकता है: -

"यदि किसी मोबाइल कनेक्शन में सिम बदलने की प्रक्रिया हुई हो, तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) 10 दिनों के लिए लागू नहीं होगी।"

8. इस पृष्ठभूमि में, परामर्श हेतु मसौदा विनियम दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं :

प्रश्न 1. क्या किसी भी मोबाइल कनेक्शन के संबंध में विशेष पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड पेश करना उचित होगा, जो सिम स्वैप/ प्रतिस्थापन/ उन्नयन की प्रक्रिया से गुजर चुका है? कृपया इस संबंध में औचित्य सहित विस्तृत प्रतिक्रिया प्रदान करें।

प्रश्न 2. यदि प्रश्न1 के लिए आपका जवाब सकारात्मक है, तो कृपया ऊपर दिए गए मसौदा संशोधन नियमों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

9. प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के जवाब में, अधिकांश हितधारकों ने यह राय दी कि ऐसे मोबाइल कनेक्शनों जो सिम स्वैपिंग/ प्रतिस्थापन की प्रक्रिया से गुज़र चुके हैं उनके लिए विशेष पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड की शुरूआत सब्सक्राइबरों के लिए लाभकारी होगी; इस कदम के परिणामस्वरूप नए ग्राहकों के नाम पर धोखेबाजों द्वारा सिम स्वैपिंग/ प्रतिस्थापन के तुरंत बाद मोबाइल कनेक्शन की पोर्टिंग को रोका जा सकेगा। तथापि, कुछ हितधारकों ने (क) सिम स्वैप/ प्रतिस्थापन के बाद कितने दिनों तक मोबाइल नंबर को पोर्टिंग के लिए योग्य नहीं माना जाना चाहिए, और (ख) सिम उन्नयन के मामलों में पोर्टिंग प्रतिबंधों की आवश्यकता के संबंध में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए थे। इन पहलुओं का परीक्षण नीचे किया जा रहा है।

(1) सिम स्वैप/ प्रतिस्थापन के बाद कितने दिनों तक मोबाइल नंबर को पोर्टिंग के लिए पात्र नहीं बनाया जाना चाहिए

10. इस पहलू पर, जबकि कुछ हितधारकों की राय थी कि सिम स्वैप/ प्रतिस्थापन के बाद 10 दिनों की प्रतीक्षा अवधि उचित है, कुछ अन्य हितधारकों ने तर्क दिया कि 10 दिनों की प्रतीक्षा अवधि से सब्सक्राइबरों को असुविधा हो सकती है, विशेष रूप से अत्यावश्यक पोर्टिंग स्थितियों में, और इसलिए, दो से चार दिनों की छोटी प्रतीक्षा अवधि उचित होगी। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर ध्यान देने के बाद प्राधिकरण का विचार है कि सिम स्वैप/ प्रतिस्थापन के बाद धोखाधड़ी वाली पोर्टिंग को रोकने के लिए, प्रतीक्षा अवधि न तो इतनी कम होनी चाहिए कि यह धोखाधड़ी वाली पोर्टिंग को रोकने के उद्देश्य को पूरा न कर सके, और न ही यह इतनी लंबी होनी चाहिए कि सब्सक्राइबरों को इससे असुविधा हो। तदनुसार, प्राधिकरण ने पोर्टिंग के लिए पात्र बनने हेतु मोबाइल नंबर के लिए सिम स्वैप अथवा प्रतिस्थापन के बाद सात दिनों की प्रतीक्षा अवधि रखने का निर्णय लिया है।

(2) सिम उन्नयन के मामलों में पोर्टिंग प्रतिबंधों की आवश्यकता

11. कुछ हितधारकों ने यह तर्क दिया कि सिम उन्नयन के मामले में, जहां उपभोक्ता के पास पहले से ही चालू हालत में मूल सिम कार्ड है, सिम स्वैप धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता की पहचान मूल कामकाजी सिम पर वन-टाइम-पासवर्ड (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण के साथ-साथ अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दस्तावेजों के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है; इसलिए, सिम उन्नयन के मामले में एमएनपी प्रतिबंध लागू नहीं होना चाहिए।

12. इस संबंध में, प्राधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि फाइल संख्या 800-09/2010-वीएएस (भाग) दिनांक 07.08.2018 के अधिसूचना के माध्यम से दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने "सिम कार्ड के उन्नयन के मामले में नया सिम कार्ड जारी करना" विषय पर दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इन दिशानिर्देशों के माध्यम से, दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सिम उन्नयन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी पहले एसएमएस के माध्यम से सिम उन्नयन के लिए ग्राहक की सहमति प्राप्त करेगा; तब अनुज्ञप्तिधारी *"सब्सक्राइबर को उसके वर्तमान कार्यशील सिम पर एक आईवीआरएस कॉल करेगा और सिम उन्नयन के उसके अनुरोध के बारे में सूचित करेगा।*

इसके बाद, अनुज्ञप्तिधारी पहले सब्सक्राइबर से पुष्टि करेगा कि क्या उसने सिम अपग्रेड का अनुरोध किया है और उसके पास नया सिम कार्ड है। यदि सब्सक्राइबर नए सिम कार्ड के अपने पास होने की पुष्टि करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी आगे बढ़ जाएगा अन्यथा पूरी सिम उन्नयन प्रक्रिया को तुरंत रद्द कर देगा।"

13. प्राधिकरण इसे संज्ञान में लेता है कि दिनांक 07.08.2018 के निर्देशों के माध्यम से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दूरसंचार विभाग ने केवल वास्तविक ग्राहकों द्वारा सिम उन्नयन हो सके ऐसा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं। तदनुसार, प्राधिकरण का मानना है कि सिम उन्नयन के मामले में पोर्टिंग प्रतिबंध की कोई आवश्यकता नहीं है।

14. उपरोक्त विन्दुओं पर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने इन संशोधन विनियमों के माध्यम से यूपीसी के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। विशेष रूप से यदि यूपीसी के लिए अनुरोध, मोबाइल नंबर के सिम स्वैप अथवा प्रतिस्थापन की तारीख से सात दिन की समाप्ति से पहले किया गया है तो उस स्थिति में यूपीसी आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।

15. इन संशोधन विनियमों के माध्यम से पेश किए गए यूपीसी के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए अतिरिक्त मानदंड को लागू करने के लिए, एक्सेस प्रदाताओं और एमएनपी सेवा प्रदाताओं की दूरसंचार प्रणालियों और प्रक्रियाओं में संशोधन करना होगा, तत्पश्चात अखिल भारत स्तर पर इसे कार्यान्वित करने से पहले परिदृश्यों का परीक्षण किया जाएगा। तदनुसार, प्राधिकरण ने इन संशोधन नियमों के कार्यान्वयन की तिथि 01.07.2024 रखने का निर्णय लिया है।

ख. मोबाइल नंबर को पोर्ट करने की अनुमति देने से पहले ग्राहक के जनसांख्यिकीय विवरण के मिलान की उपयुक्तता।

16. डीओटी ने दिनांक 24.07.2023 को एक पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से अनुरोध किया कि *"धोखाधड़ी वाली पोर्टिंग की रोकथाम के लिए मौजूदा एमएनपी प्रक्रिया में शामिल करने हेतु निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जा सकता है:-*

i. *यूपीसी कोड जनरेट होने के बाद उचित चरण में सब्सक्राइबर का जनसांख्यिकीय विवरण (जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि और फोटो इत्यादि) या ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ)/ डिजिटल सीएएफ की स्कैन की गई प्रति दाता प्रचालक से प्राप्तकर्ता प्रचालक को हस्तांतरित की जा सकती है। समय की देरी से बचने के लिए, ऐसे स्थानांतरण अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने चाहिए।*

ii. *प्राप्तकर्ता प्रचालक को सब्सक्राइबर के जनसांख्यिकीय विवरण का दाता प्रचालक से प्राप्त विवरण से मिलान करना चाहिए। यदि सब्सक्राइबरों का जनसांख्यिकीय विवरण मेल खाता है, तो ही एमएनपी प्रक्रिया में आगे के चरणों की अनुमति दी जा सकती है अन्यथा पोर्टिंग प्रक्रिया समाप्त की जा सकती है।''*

17. इस संबंध में, प्राधिकरण ने 'परामर्श हेतु मसौदा विनियम दिनांक 27.09.2023' के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्न पर हितधारकों से विचार मांगे थे:

"*प्रश्न3. हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव पर औचित्य के साथ विस्तृत जानकारी प्रदान करें -*

(क) यूपीसी कोड जनरेट होने के बाद उचित चरण में सब्सक्राइबर का जनसांख्यिकीय विवरण (जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि और फोटो इत्यादि) या ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ)/ डिजिटल सीएएफ की स्कैन की गई प्रति दाता प्रचालक से प्राप्तकर्ता प्रचालक को हस्तांतरित की जा सकती है। समय की देरी से बचने के लिए, ऐसे स्थानांतरण अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने चाहिए; तथा

(ख) प्राप्तकर्ता प्रचालक को सब्सक्राइबर के जनसांख्यिकीय विवरण का दाता प्रचालक से प्राप्त विवरण से मिलान करना चाहिए। यदि सब्सक्राइबरों का जनसांख्यिकीय विवरण मेल खाता है, तो केवल एमएनपी प्रक्रिया में आगे के चरणों की अनुमति दी जा सकती है अन्यथा पोर्टिंग प्रक्रिया समाप्त की जा सकती है।''

18. प्रश्न 3 के जवाब में, अधिकांश हितधारकों ने सुझाव दिया है कि पोर्टिंग प्रक्रिया से पहले सब्सक्राइबरों के जनसांख्यिकीय विवरण का मशीन आधारित सत्यापन किया जाना चाहिए। भादूविप्रा में फिलहाल इस पहलू पर विस्तार से परीक्षण किया जा रहा है और इसे अलग से निपटाया जाएगा।

ग. विविध मुद्दे

19. प्राधिकरण ने 'परामर्श हेतु मसौदा विनियम दिनांक 27.09.2023' के माध्यम से हितधारकों से मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग की प्रक्रिया में सुधार हेतु किसी अन्य मुद्दे पर सुझाव/ टिप्पणियाँ प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में, पोर्टिंग से संबंधित कई मामलों को प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है। हितधारकों की इन चिन्ताओं पर प्राधिकरण द्वारा ध्यान दिया गया है और इनका विधिवत् परीक्षण किया जाएगा।

*****